न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र

नारायणदास तनय सरजू लोधी निवासी मौने माते का खेरा तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़, म.प्र. I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/0897 ....निगरानीकर्ता

//विरुद्ध//

1. भगवानदास तनय भल्लू लोधी
2. मथरा तनय भल्लू लोधी
3. हीरा तनय भल्लू लोधी
4. गनेश तनय लब्बू लोधी

समस्त निवासी मौने माते का खेरा तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के नि.प्र.क. 45/बी–121 वर्ष 2016–17 में पारित आदेश दि. 30.10.2017 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानीकर्ता की ओर से सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत है।

1. यह कि, निगरानीकर्ता ग्राम मौने माते का खेरा तह. वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ का निवासी है , भूमि ख.नं. 396/2/3 कुल रकवा 0.405 हे. लगानी 0.85 रुपया भूमि पर पचास वर्षों से काबिज रहकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। आवेदक का उक्त भूमि पर मिट्टी डालकर बांध बनाकर, कुआ खोदकर, कृषि योग्य बनाया और मकान बनाकर फलदार वृक्ष लगाकर उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है, जिससे निगरानीकर्ता उक्त भूमि के संबंध में हितग्राही एवं परिवेदित पक्षकार हैं।

2. यह कि, अनावेदक क. 1, 2, 3 के पिता भल्लू तनय लट्ठी लोधी एवं अनावेदक क. 4 गनेश तनय लब्बू लोधी के बब्बा भल्लू लोधी ने निगरानीकर्ता के पैत्रिक कब्जे की भूमि का पट्टा प्रकरण क. 335/अ–19 '4' वर्ष 1994–95 के द्वारा भूमि ख.नं. 396/2/3 रकवा 0.405 हे. स्थित भूमि ग्राम मौने माते का खेरा

76

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/897 नारायणदास विरूद्ध भगवानदास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 45/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

3.1.19

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 3.1.19
सदस्य